इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 457]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त 2017—श्रावण 31, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. 13761-187-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१७

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक १८ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ अगस्त, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.].

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

(एक) अनुच्छेद २५ में, कॉलम (२) में, परंतुक में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(छ) जब कोई लिखत, यथास्थिति, भूमि स्वामी अथवा पट्टेदार की सहमति के साथ अनुच्छेद ६ (घ) (एक) के अधीन निष्पादित लिखत से अभिप्राप्त हुए विकास अधिकार एवं/अथवा निर्माण अधिकार के अंतरण से संबंध रखती है, शुल्क की दर, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अधिकार के अंतरण से संबंधित भूमि के बाजार मूल्य या प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगी.

(दो) अनुच्छेद ६२ में, कॉलम (२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—किसी खनन पट्टे के समनुदेशन की दशा में, शुल्क, पट्टे की शेष कालावधि पर निर्भर रहते हुए अनुच्छेद ३८(ख) के अधीन संगणित की गई रकम या मूल्य के समतुल्य होगा.".

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र.-187-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2017

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 18th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd August, 2017].

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

3. In Schedule 1-A to the principal Act,—

(i) in article 25, in column (2), in proviso, after clause (f), the following clause shall be added, namely :—

"(g) when an instrument relates to transfer of development right and/or construction right, obtained from the instrument executed under article 6(d) (i), along with consent of land owner or lessee, as the case may be, the rate of duty shall be one percent of market value of the land related to transfer of such right or consideration, whichever is higher, subject to a minimum of one thousand rupees.";

(ii) in article 62, in column (2), the following explanation shall be added, namely :—

"Explanation.—In case of assignment of a mining lease, the duty shall be equal to the amount or value calculated under article 38(b) depending upon the remaining period of the lease.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.